झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची

JHARKHAND ACADEMIC COUNCIL, RANCHI

वार्षिक माध्यमिक परीक्षा - 2011 का क्रॉस लिस्ट,अंक पत्रक आदि के वितरण एवं पुनरीक्षण के संबंध में आवश्यक सूचना

विज्ञप्ति संख्या - 50/2011

एतद् द्वारा सभी छात्र/छात्राओं, अभिभावकों, विद्यालय प्रधानों एवं संबंधित पदाधिकारियों को सूचित किया जाता है कि वार्षिक माध्यमिक परीक्षा–2011 का क्रॉस लिस्ट, अंक पत्रक, औपबंधिक प्रमाण पत्र एवं प्रव्रजन प्रमाण पत्र संबंधित जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय से दिनांक 15.06.2011 से वितरित किया जाएगा, जिसे विद्यालय प्रधान स्वयं अथवा उनके द्वारा अधिकृत दूत के माध्यम से संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय से प्राप्त कर लेंगे।

साथ ही यह भी सूचित किया जाता है कि वार्षिक माध्यमिक परीक्षा–2011 के जो छात्र/छात्रा अपने विषय/विषयों के प्राप्तांक से संतुष्ट नहीं हैं, वे स्क्रूटनी के लिए विद्यालय प्रधान के द्वारा इस आशय का प्रमाणक के साथ कि **" वे संतुष्ट हैं कि स्क्रूटनी के लिए मजबूत एवं समुचित आधार है"** अपना आवेदन पत्र अग्रसारित कराकर दिनांक 18.06.2011 से 11.07.2011 तक झारखण्ड अधिविद्य परिषद् कार्यालय,राँची एवं परिषद् के क्षेत्रीय कार्यालय, दुमका में जमा करेंगे।

प्रत्येक सैद्धांतिक विषय का पुनरीक्षण शुल्क 150/– (एक सौ पचास)रूपये होगा। अधिकतम तीन विषयों का पुनरीक्षण अनुमान्य है। शुल्क की राशि के बैंक ड्राफ्ट **"झारखण्ड एकेडमिक कौंसिल फण्ड, राँची"** के नाम से देय एवं भुगतेय तथा संथाल परगना प्रमण्डल के लिए **"झारखण्ड एकेडमिक कौंसिल फण्ड, दुमका"** के नाम से देय एवं भुगतेय होगा। आवेदन के साथ अंक–पत्र की छायाप्रति निश्चित रूप से संलग्न करें।

1. स्क्रूटनी में निम्न बिन्दुओं पर विचार किया जाएगाः–
   (क)अंदर के पृष्ठ में नियोजित अंक अगर मुख्य पृष्ठ पर अंकित नहीं है तब उसे मुख्य पृष्ठ पर अंकित करते हुए योग में सुधार किया जाएगा।
   (ख)अगर कोई प्रश्नोत्तर बिना मूल्यांकन के रह गया है तो उसका मूल्यांकन किया जाएगा।
   (ग)अंकों का योग अगर सही नहीं है तब उसमें सुधार किया जाएगा।
2. स्क्रूटनी के लिए आवेदन देने वाले छात्रों को स्पष्ट किया जाता है कि स्क्रूटनी के तहत मूल्यांकित प्रश्नों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया जाता है जिससे अंक वृद्धि की संभावना कम रहती है अतएव वार्षिक परीक्षा– 2011 के अनुर्त्तीण छात्रों को राय दी जाती है कि स्क्रूटनी के फलाफल की प्रतीक्षा किए बिना ही सम्पूरक(Compartmental)परीक्षा– 2011 अथवा वार्षिक परीक्षा– 2012 के लिए परीक्षा आवेदन प्रपत्र भर सकते हैं।
3. निर्धारित तिथि को 5.00 बजे अपराह्न के बाद आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। साथ ही बिना शुल्क के अथवा बिना विद्यालय प्रधान के अग्रसारण एवं अनुशंसा के स्क्रूटनी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।
4. **निर्धारित तिथि के बाद अथवा डाक द्वारा भेजे गए स्क्रूटनी आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा।**

अध्यक्ष के आदेशानुसार,
ह./-
(यमुना गिरि)
सचिव,
झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची।

JAC/माध्यमिक/5382/10/SECY/285/11
Dt. 11.6.11
D.O.P-12.06.2011